भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1448

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**गरीबों को खाद्यान्न**

1448. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

श्री मोती लाल वोरा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की ओर गया है जिसके अनुसार गरीबों को भोजन मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख) और (ग):** माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने दिनांक 14.5.2011 के आदेश में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया है कि भारत संघ प्राथमिकता के आधार पर भारत के 150 निर्धनतम जिलों के लिए खाद्यान्‍न प्रदान करे और 150 निर्धनतम जिलों अथवा समाज के अत्‍यन्‍त गरीब तथा कमजोर वर्गों को वितरण करने के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्‍न आरक्षित करे। इसने अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निदेश भी दिया है कि उपर्युक्‍त मात्रा का आवंटन उच्‍चतम न्‍यायालय के सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश डी0पी0 वाधवा की अध्‍यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर किया जाए। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेशों और उक्‍त समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने जुलाई से अक्‍तूबर, 2011 तक के दौरान कुल 23.67 लाख टन चावल और गेहूँ का आवंटन किया है जिसमें 27 राज्‍यों में समिति द्वारा पहचान किए गए 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों में वितरण करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना के मूल्‍यों पर 7.59 लाख टन और गरीबी रेखा से नीचे के मूल्‍यों पर 16.08 लाख टन अनाज शामिल है।

..............